न्यायालय: अपर जिला न्यायाधीश संख्या 4, अजमेर (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी: ऋतु मीणा, आर जे एस
(जिला जज केडर)

फौजदारी अपील संख्या : 150/2019
सी.आई.एस. संख्या : 150/2019

अजय विक्टर पुत्र श्री विक्टर ग्लेडरीन, उम्र 44 वर्ष, निवासी होली ऐन्जल स्कूल के पास नयापुर कोटा, राजस्थान।

....अपीलार्थी/अभियुक्त

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक, अजमेर।
2– पुष्पेन्द्र पुत्र स्व. श्री लक्ष्मण सिंह, निवासी 12/146, गहलोत हाउस, हाथीभाटा, अजमेर।

.....रेस्पोडेंट/प्रत्यर्थीगण

फौजदारी अपील अन्तर्गत धारा 374 दण्ड प्रक्रिया संहिता विरूद्ध निर्णय दिनांक 25–02–2019, जिसके द्वारा न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, एन आई एक्ट प्रकरण संख्या 3, अजमेर के पीठासीन अधिकारी श्री परिणय जोशी द्वारा फौजदारी नियमित प्रकरण संख्या 1227/2015, बउनवान पुष्पेन्द्र बनाम अजय विक्टर में अपीलार्थी को कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, से व्यथित होकर।

उपस्थित:–
1. श्री सुनिल कोशिक, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी/अभियुक्त
2. श्री गुलाम नज़मी फारुकी, अपर लोक अभियोजक वास्ते रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री अमित कुमार जैन, विद्वान अधिवक्ता वास्ते रेस्पोडेंट संख्या 2

निर्णय दिनांक 11.06.2026

1– अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत फौजदारी अपील, आक्षेपित आदेश निर्णय एवं दण्डादेश दिनांकित 25–02–2019, जिसके द्वारा न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, एन आई एक्ट प्रकरण संख्या 3, अजमेर द्वारा फौजदारी नियमित प्रकरण संख्या 1227/2015, बउनवान पुष्पेन्द्र

Authenticated Document

बनाम अजय विक्टर में पारित किया गया, के विरुद्ध श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो कि विधिवत सुनवाई एवं निस्तारण हेतु इस न्यायालय को अंतरित होकर प्राप्त हुई।

2– परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अभियुक्त ने परिवादी से जनवरी 2006 में जमीन खरीदने के लिए 7,00,000/– रूपये नगद उधार लिये थे तथा मई 2006 तक उक्त रकम वापस लौटाने का विश्वास दिलाया था। उक्त रकम के पेटे अभियुक्त ने परिवादी को एक चैक संख्या 720035 दिनांक 01.05.2006 राशि 7,00,000/– रूपये दिया। उक्त चैक के भुगतान हेतु परिवादी द्वारा चैक को बैंक में प्रस्तुत किया गया। उक्त चैक अपर्याप्त निधि तथा अपूर्ण हस्ताक्षर (ड्रावर) के पृष्ठांकन के साथ अनादरित हो गया। जिसके अनादरण की सूचना दिनांक 25.07.2006 के मीमों के जरिये प्राप्त हुई। चैक अनादरित होने की सूचना एवं अनादरित चैक की राशि के भुगतान हेतु एक विधिक नोटिस जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. से एवं यू.पी.सी. से अभियुक्त को दिनांक 21.08.2006 को प्रेषित किया गया। नोटिस अभियुक्त को दिनांक 23.08.2006 को पर्याप्त तामिल हो जाने के पश्चात भी चैक राशि का भुगतान अभियुक्त द्वारा नहीं किया गया। जिस पर विधिक समयावधि के भीतर परिवादी के द्वारा यह परिवाद अभियुक्त के विरूद्ध पेश किया गया। अभियुक्त का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 138 नेगोशियेबल इन्सट्रमेंट एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है आदि परिवाद के आधार पर दिनांक 03–07–2007 को न्यायालय द्वारा अभियुक्त दिलीप कुमार के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत 138 एन.आई.एक्ट का प्रसंज्ञान लिया जाकर अभियुक्त को तलब किया गया।

3– अभियुक्त के उपस्थित आने पर दिनांक 11–09–2012 को अभियुक्त को अपराध अन्तर्गत धारा 138 एन.आई. एक्ट का मौखिक आरोप सारांश सुनाया व समझाया गया, तो आरोपों से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

4– परिवादी साक्ष्य में परिवादी ने स्वयं को पीडब्ल्यू–01 के रूप में परीक्षित करवाया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 लगायत प्रदर्श 7 दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये गये।

Authenticated Document

5– अभियुक्त के बयान मुलजिम अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. लेखबद्ध किये गए, जिसमें उसने पुष्पेन्द्र को नहीं जानना, पुष्पेन्द्र से कोई लेनदेन नहीं होना जाहिर किया, स्वयं का 1 मई 2006 को कोटा में होना तथा चैक उसने विशाल को कोटा में दिया था। विशाल उसके साथ व्यवसायी था, उसको खाली चैक दिया था, चैक उसने उसके दोस्त ज्योति डेनियाल के सामने दिया था। अभियुक्त ने प्रतिरक्षा साक्ष्य में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की।

6– बहस अन्तिम सुनी जाकर अभियुक्त को धारा 138 एन.आई.एक्ट के तहत 09 माह के साधारण कारावास तथा 12,50,000/– रुपये प्रतिकर से दण्डित किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

7– बहस अपील सुनी गई।

8– दौराने बहस अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्त के द्वारा यह तर्क दिया कि परिवादी/रेस्पोडेंट के द्वारा एक परिवाद अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और यह उल्लेखित किया गया कि अभियुक्त के द्वारा परिवादी से जमीन खरीदने के लिए जनवरी 2006 में 7 लाख रूपये की राशि उधार ली गई थी और मई 2006 तक उक्त रकम लौटाने का विश्वास दिलाया था, जिसके पेटे एक चैक दिनांक 01–05–06 को 7 लाख रूपये की राशि का परिवादी को दिया था । उक्त चैक परिवादी द्वारा बैंक में समाशोधन हेतु प्रस्तुत किया गया जो अपर्याप्त निधि व अपूर्ण हस्ताक्षर के पृष्ठांकन के साथ अनादरित हो गया। जिसकी सूचना परिवादी को चैक अनादरण मीमो प्राप्त होने पर परिवादी के द्वारा अभियुक्त को एक विधिक नोटिस जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. दिनांक 21–08–06 को प्रेषित किया गया, जो अभियुक्त को प्राप्त हो गया । उसके पश्चात भी अभियुक्त के द्वारा चैक में वर्णित राशि का भुगतान नहीं किया गया, जिस पर परिवादी के द्वारा यह परिवाद पेश किया गया है । बाद सम्पूर्ण विचारण विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध् में दोषसिद्ध किया गया। जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई है । परिवादी के द्वारा जो चैक प्रदर्श पी 1 देना बताया है वह आदित्य कंस्ट्रक्शन के नाम से जारी है, जबकि जो परिवाद परिवादी के द्वारा पेश किया गया है वह व्यक्तिगत हैसियत से पेश किया गया है। आदित्य कंस्ट्रक्शन को उसमें पक्षकार नहीं बनाया गया है, जिसका विद्वान अधीनस्थ

न्यायालय के द्वारा विवेचन नहीं कर त्रुटि कारित की है। परिवादी के द्वारा अपनी साक्ष्य में 7 लाख रूपये देने की उसकी आर्थिक क्षमता के सम्बंध में कोई आय का स्त्रोत नहीं बताया गया है व राशि अपनी माता व भाई से लेना बताता है, लेकिन उन्हें साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में परिवादी की उक्त राशि उधार देने की आर्थिक क्षमता नहीं थी, जिस पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नहीं किया गया। प्रकरण में जो नोटिस प्रदर्श पी 6 दिया जाना परिवादी के द्वारा बताया गया है, उस पर परिवादी के अधिवक्ता के हस्ताक्षर नहीं है, मात्र एस.डी. अंकित किया गया है और परिवादी के द्वारा भी उक्त तथ्य को अपने बयानों में स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में नोटिस प्रदर्श पी 6 जो दिया गया है वह विधिक प्रावधानों के अनुसार पूर्ण नहीं माना जा सकता, जिस पर भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नहीं किया गया है एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य के विपरीत है एवं तथ्यों एवं विधि के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–02–19 को अपास्त किया जाकर अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किया जावे। अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये–

1. Rameshchandra baregama vs Raeshchandra Joshi

   2012 Supreme (Raj) 2

2. Milind Shripad Chandurkar vs Kalim M. Khan

   2011 AIR SCW 1773

3. Basalingappa vs Mudibasappa

   2019 Cr.L.R (SC) 383

4. Chittorgarh kendriya Sahkari Bank vs Heera Singh

   S.B. Cri. App no 01/17 (Raj)

5. Sanjay Mishra vs Ms Kanishka Kapoor & Anr

   2009 (2) DCR 244 (Bombay)

6. Rameshkumar vitthalbhai Patel vs State of Gujrat
   R/Criminal App No 1356/14(Gujrat)
7. Krishna Janardhan Bhat vs Dattatraya G. Hegde
   2008 (1) Supreme 306
8. Amar Singh Mehta vs Sukh Ram Sharma & Anr
   2018 (2) NIJ 643 (HP)
9. John K. Abraham vs Simon C. Abraham & Anr.
   2014 Cr.L.R. (SC) 117
10. Rev. Mother Marykutty vs Reni C. Kottaram & Anr
   2013 Cr. L. R (sc) 248

9– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट/परिवादी के द्वारा यह तर्क दिया गया कि जो आपत्तियां हस्तगत अपील के माध्यम से उठाई गई है उक्त सभी आपत्तियों का निस्तारण विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में किया गया है । विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत की गई सामग्र साक्ष्य का विवेचन किये जाने के पश्चात अभियुक्त को दोषसिद्ध किया गया है । जो नोटिस प्रदर्श पी 6 परिवादी के द्वारा अभियुक्त को प्रेषित किया गया है उक्त नोटिस अभियुक्त को प्राप्त हो गया है एवं असल नोटिस अभियुक्त को प्रेषित किया जा चुका है जो ऑफिस कॉपी परिवादी के अधिवक्ता के पास में थी वह प्रदर्श पी 6 है, जिस पर एस.डी. अंकित किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में परिवादी के द्वारा जो आपत्ति की गई वह स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। प्रकरण में आदित्य कंस्ट्रक्शन के नाम से चैक जारी किया गया है परन्तु परिवाद परिवादी के द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से पेश किया गया है, जिसके सम्बंध में प्रदर्श पी 7 कार्यालय आदेश पत्रावली में प्रस्तुत है, जिससे आदित्य कंस्ट्रक्शन का सोल प्रोपराईटर परिवादी पुष्पेन्द्र सिंह होना जाहिर होता है। अतः ऐसी स्थिति में परिवादी के द्वारा जो आपत्तियां की गई है उनके संबंध में विवेचन विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में किया जा चुका है। अतः विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो निर्णय पारित किया

गया है, वह विधिनुसार पत्रावली पर उपलब्ध समग्र साक्ष्य का विवेचन करते हुए पारित किया गया है। अतः अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर खारिज की जाये।

10– बहस अपील सुनी गई तथा विचारण न्यायालय की पत्रावली एवं अपीलाधीन निर्णय का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। अब इस न्यायालय के समक्ष अवधारणार्थ हेतु निम्न बिंदु उत्पन्न होता है:–

"आया, अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आलौच्य आदेश दिनांकित 25–02–2019 पारित करते समय किसी प्रकार की कोई विधि एवं तथ्यात्मक भूल कारित की है या नही ? "

11– विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी को दोषसिद्ध किये जाते समय यह माना है कि प्रदर्श पी 1 चैक पर अभियुक्त ने अपने हस्ताक्षर होने से इंकार नहीं किया है एवं अभियुक्त को जो नोटिस परिवादी के द्वारा प्रेषित किया गया, वह अभियुक्त को प्राप्त होना विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रमाणित माना गया है और परिवादी के पक्ष में की गई धारा 118 व धारा 139 एन आई एक्ट की उपधारणाओं का खण्डन करने में अभियुक्त को असफल होना माना है और अभियुक्त को प्रकरण में दोषसिद्ध किया गया है।

12– प्रकरण में परिवादी के द्वारा एक परिवाद इस आशय का पेश किया गया था कि अभियुक्त ने जमीन खरीदने के लिये परिवादी से 7,00,000 रूपये उधार लेकर उसके भुगतान पेटे एक चैक संख्या 720035, बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड, सिविल लाईन नयापुरा, कोटा का दिनांक 01.05.2006 का दिया। उक्त चैक परिवादी ने अपने बैंक में प्रस्तुत किया, जिसे अभियुक्त के बैंक में समाशोधन हेतु भेजा, जहां से उक्त चैक ''अपर्याप्त निधि एवं अपूर्ण हस्ताक्षर'' के रिमार्क के साथ अनादरित हो गया। उसके पश्चात् परिवादी के द्वारा अभियुक्त को दिनांक 21.08.2006 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस प्रेषित किया, जो अभियुक्त को दिनांक 23.08.2006 को प्राप्त हो गया। उक्त नोटिस प्राप्त होने के बावजूद भी अभियुक्त के द्वारा चैक में वर्णित राशि का भुगतान नहीं किया गया, जिसपर दिनांक 14.09.2006 को परिवाद परिवादी के द्वारा न्यायालय में पेश किया गया। इस प्रकार, परिवादी के द्वारा धारा 138,

Authenticated Document

142 एन. आई. एक्ट के आज्ञापक प्रावधानों की पालना करते हुए हस्तगत परिवाद न्यायालय में पेश किया है।

13– अपीलार्थी/अभियुक्त के द्वारा मुख्य रूप से यह आपत्ति ली गई है कि जो चैक प्रदर्श पी 1 अभियुक्त के द्वारा परिवादी को देना बताया गया है वह आदित्य कंस्ट्रक्शन के नाम पर जारीशुदा है, जबकि परिवाद व्यक्तिगत हैसियत से प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार आदित्य कंस्ट्रक्शन को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है। इस प्रकार, परिवादी को हस्तगत परिवाद पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। इस सम्बंध में पत्रावली का अवलोकन करते है तो प्रकरण में प्रदर्श पी 7 कार्यालय आदेश दिनांक 01.05.06 का प्रस्तुत है, जिसका अवलोकन करने से यह प्रमाणित है कि मैसर्स आदित्य कंस्ट्रक्शन के सोल प्रोपराईटर परिवादी पुष्पेन्द्र सिंह ही है और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय में भी इसका विवेचन किया है कि प्रदर्श पी 7 दस्तावेज से परिवादी पुष्पेन्द्र सिंह का आदित्य कंस्ट्रक्शन से सम्बंध स्थापित होना प्रमाणित है, जो उचित है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त की ओर से जो उक्त आपत्ति ली गई है वह स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

14– अपीलार्थी/अभियुक्त के द्वारा एक अन्य आपत्ति यह ली गई है कि चैक प्रदर्श पी 1 अपर्याप्त निधि व अपूर्ण हस्ताक्षर के आधार पर अनादरित हुआ है। इस प्रकार चैक अनादरण मीमो में दो आधार एक साथ बताये गये है। जिसके आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। इस सम्बंध में न्यायालय का यह मत है कि प्रदर्श पी 2 चैक अनादरण मीमो जो पत्रावली में पेश है वह Opening balance insufficient, Drawer signature incompelete के आधार पर चैक प्रदर्श पी 1 अनादरित हुआ है। चैक रिटर्न मीमो मे दो आधार एक साथ अंकित करने से अभियुक्त को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। पत्रावली पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि चैक प्रदर्श पी 1 अभियुक्त के द्वारा परिवादी के पक्ष में अपने हस्ताक्षर करते हुए जारी किया गया है। परिवादी के द्वारा अपने बयानों में यह स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि अभियुक्त के द्वारा जमीन खरीदने के लिए उससे पैसे उधार लिये गये थे और अभियुक्त स्वयं चैक भरकर लाया था और चैक उसके ऑफिस के गेट के बाहर उसे दिया गया था। इस प्रकार चैक प्रदर्श पी 1 अभियुक्त के द्वारा परिवादी को राशि उधार लेने के विधिक ऋण के दायित्व के पेटे दिया जाना प्रमाणित होता

Authenticated Document

है। उक्त चैक अपर्याप्त निधि व अपूर्ण हस्ताक्षर के आधार पर अनादरित हुआ है। जो प्रदर्श पी 2 से प्रमाणित है। अतः ऐसी स्थिति में अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्त के द्वारा जो आपत्ति इस सम्बंध में उठाई गई है वह भी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

15– एक अन्य आपत्ति अधिवक्ता अपीलार्थी के द्वारा यह उठाई गई है कि प्रदर्श पी 6 जो नोटिस प्रेषित किया गया है वह पूर्ण नहीं है, उस पर अधिवक्ता के हस्ताक्षर नहीं थे, एस.डी. लिखा हुआ है। इस प्रकार नोटिस प्रदर्श 6 पूर्ण नहीं माना जा सकता है। इस सम्बंध में अभियुक्त की ओर से न्यायिक दृष्टांत **2012 Supreme (Raj) 2, Rameshchandra baregama vs Raeshchandra Joshi** प्रस्तुत किया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह माना है कि चैक अनादरण के मामले में नोटिस पर हस्ताक्षर होना आवश्यक है, जिसमें नोटिस में दी गई सूचना की सत्यता प्रमाणित हो। हस्तगत प्रकरण में नोटिस प्रदर्श पी 6 अधिवक्ता सोमदत्त यादव द्वारा दिया गया है, जिस पर एस.डी. लिखा हुआ है। उक्त नोटिस प्रदर्श पी 5 के जरिये अभियुक्त को प्राप्त हो गया। नोटिस देने का तात्पर्य अभियुक्त को चैक अनादरण की सूचना दिया जाना व उसके पश्चात चैक में वर्णित राशि का भुगतान किये जाने हेतु सूचना दिये जाने बाबत है। जिसकी सूचना अभियुक्त को नोटिस प्रदर्श पी 5 के जरिये प्राप्त हो गयी थी। अभियुक्त के द्वारा उक्त नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया है, ना ही राशि का भुगतान किया गया है और मात्र यह आपत्ति उठाई गई है कि नोटिस पर अधिवक्ता परिवादी के हस्ताक्षर नहीं होकर एस.डी. अंकित किया है। नोटिस प्रदर्श पी 6 पर वर्णित तथ्यों का दायित्व अधिवक्ता सोमदत्त यादव का है, जिसकी जानकारी अभियुक्त को हो गई थी और अभियुक्त के द्वारा राशि अदायगी नहीं कर नोटिस पर अधिवक्ता के हस्ताक्षर नहीं होने के सम्बंध में आपत्ति ली गई है, जिसके आधार पर अभियुक्त को कोई लाभ प्राप्त नहीं हो जाता है। इस प्रकार उक्त आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

16– अधिवक्ता अपीलार्थी के द्वारा एक आपत्ति यह ली गई है कि परिवादी अपने बयानों में यह बताता है कि पैसे उसने अपनी माता व भाई से लिये थे परन्तु उन्हें न्यायालय में परीक्षित नहीं करवाया गया है। परिवादी की पैसे देने की आर्थिक क्षमता नहीं थी। परिवादी 7 लाख रूपये की राशि कहां से लाया, इस बाबत् कोई कथन नहीं किया। इस प्रकार, परिवादी की राशि उधार

देने की आर्थिक क्षमता नहीं होना प्रमाणित है। इस सम्बंध में पत्रावली पर आयी साक्ष्य का अवलोकन करते है तो परिवादी पी.ड. 1 के रूप में परीक्षित होकर अपने बयानों में यह बताता है कि 7 लाख रूपये की राशि में थोडी राशि उसकी है, थोडी उसके घर वालों की है। दो लाख रूपये उसके थे, तीन लाख रूपये उसकी माता व 2 लाख रूपये उसके भाई गजेन्द्र सिंह से उधार लिये थे। उसके द्वारा चैक ऑफिस के गेट के बाहर देना बताया है और विशाल गहलोत के सामने देना बताता है परन्तु विशाल की मृत्यु हो चुकी है, वह यह भी बताता है कि चैक अभियुक्त भरकर लाया था। इस सम्बंध में अभियुक्त की ओर से न्यायिक दृष्टांत **2019 Cr.L.R (SC) 383, Basalingappa vs Mudibasappa** प्रस्तुत किया है, जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा यह माना है कि परिवादी को उधार दी गई राशि बाबत अपनी आर्थिक क्षमता को प्रमाणित करना आवश्यक है। अन्य न्यायिक दृष्टांत Amar Singh Mehta vs Sukh Ram Sharma & Anr 2018 (2) NIJ 643 (HP) पेश किया है, जिसमें माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा परिवादी के द्वारा राशि की डिटेल दिये जाने का तारीख, समय, स्थान बताने में असमर्थ रहने पर अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का उचित आधार माना गया था। हस्तगत प्रकरण में परिवादी ने अभियुक्त को जनवरी 2006 में जमीन खरीदने के लिये 7 लाख रूपये नकद उधार दिया जाना बताया है। परिवादी के द्वारा अपने बयानों में यह प्रमाणित किया है कि 7 लाख रूपये की राशि में 2 लाख रूपये उसके द्वारा दिये गये, 3 लाख रूपये उसकी माता जी से व 2 लाख रूपये अपने भाई गजेन्द्र सिंह से लिये थे। परिवादी के द्वारा जो साक्ष्य पेश की गई है उसके खण्डन में अभियुक्त के द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियुक्त के द्वारा अपने धारा 313 द.प्र.सं. के तहत हुये बयानों में यह बताया है कि दिनांक 01.05.06 को वह कोटा में था और उसके द्वारा चैक विशाल को ज्योति डेनियल के सामने दिया था परन्तु अभियुक्त के द्वारा कोटा में ज्योति डेनियल को न्यायालय में परीक्षित नहीं करवाया गया है, ना ही उक्त दिनांक को अभियुक्त कोटा में हो इसे अभियुक्त के द्वारा प्रमाणित किया गया है। परिवादी के पक्ष में की गई उपधारणा का खण्डन करने का भार अभियुक्त पर है, जिसके सम्बंध में अभियुक्त को सुदृढ साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए थी मात्र अभिवचन किये जाने से उक्त उपधारणा का खण्डन नहीं हो जाता है। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त के द्वारा परिवादी के पक्ष में जो उपधारणा की गई है उसके खण्डन

नहीं किया गया है और पत्रावली पर आयी साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि अभियुक्त के द्वारा चैक प्रदर्श पी 1 परिवादी से उधार ली गई राशि के पेटे 7 लाख रूपये का दिनांक 01.05.06 को दिया गया था जो परिवादी के द्वारा बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया जो अपर्याप्त निधि व अपूर्ण हस्ताक्षर के पृष्ठांकन के साथ अनादरित हो गया। जिसकी सूचना प्रदर्श पी 2 चैक अनादरण मीमो के साथ परिवादी को प्राप्त हुई है और परिवादी के द्वारा चैक में वर्णित राशि के भुगतान हेतु एक विधिक नोटिस प्रदर्श पी 6 अभियुक्त को प्रेषित किया गया जो अभियुक्त को दिनांक 23.8.06 को प्रदर्श पी 5 के जरिये प्राप्त हो गया उक्त नोटिस प्राप्त होने के पश्चात भी अभियुक्त के द्वारा परिवादी को चैक में वर्णित राशि का भुगतान नहीं किया गया।

17– चैक प्रदर्श पी 1 पर अपने हस्ताक्षर होने के संबंध में अभियुक्त के द्वारा इंकार नहीं किया गया है। पत्रावली पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि चैक प्रदर्श पी 1 अपने खाते का स्वयं के हस्ताक्षर कर परिवादी को दिया था, जो परिवादी से उधार ली गई राशि के विधिक ऋण के दायित्व के पेटे दिया जाना प्रमाणित होता है। परिवादी के द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य के खण्डन में अभियुक्त की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, न ही वह स्वयं न्यायालय में साक्ष्य हेतु उपस्थित हुआ है।

18– परक्राम्य लिखत अधिनियम के अनुसार परिवादी के पक्ष में धारा 118 व 139 के तहत उपधारणा दी गई है, जिसके अंतर्गत आवश्यक अपेक्षाओं को प्रमाणित किये जाने पर ऐसी उपधारणा परिवादी के पक्ष में प्रमाणित मानी जा सकती है और अभियुक्त के निर्दोष होने की उपधारणा की सीमा तक दुर्लभ हो जाता है।

धारा 118–क परक्राम्य लिखत अधिनियम में यह प्रावधान है कि "यह कि हर एक परक्राम्य लिखत प्रतिफलार्थ रचित या लिखी गई थी और यह कि हर ऐसी लिखत जब प्रतिगृहीत, पृष्ठांकित, परक्रामित या अंतरित हो चुकी हो तब वह प्रतिफलार्थ, प्रतिगृहित परक्रामित या अंतरित की गई थी"।

धारा 118–छ परक्राम्य लिखत अधिनियम में यह प्रावधान है कि "यह कि परक्राम्य लिखत का धारक सम्यक् अनुक्रम–धारक है"। परंतु जहां कि लिखत उसके विधिपूर्ण विधिपूर्ण स्वामी से या उसकी विधिपूर्ण

अभिरक्षा रखने वाले किसी व्यक्ति से अपराध या कपट द्वारा अभिप्राप्त की गई है अथवा उसके रचयिता या प्रतिग्रहीता से अपराध या कपट द्वारा अभिप्राप्त या विधिविरूद्ध प्रतिफल के लिए अभिप्राप्त की गई है वहां यह साबित करने या भार कि धारक सम्यक्–अनुक्रम धारक है, उस पर है।

धारा 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम में यह प्रावधान है कि "जब तक तत्प्रतिकूल साबित न हो, यह उपधारणा की जायेगी कि चैक के धारक ने धारा 138 में निर्दिष्ट प्रकृति का चैक किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्णतः या भागतः उन्मोचन के लिये प्राप्त किया है।"

19– परक्राम्य लिखित अधिनियम के अन्तर्गत दी गई उपधारणा का खण्डन अभियुक्त के द्वारा अपनी साक्ष्य के माध्यम से नहीं किया गया है। अभियुक्त के द्वारा जो आपत्तियां हस्तगत अपील के माध्यम से उठाई गई है, उक्त आपत्तियों के आधार पर धारा 118 व 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत परिवादी के पक्ष में ली गई उपधारणा का खण्डन नहीं होता है। ऐसी स्थिति में, अभियुक्त धारा 118 व 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत उपधारणा का खण्डन करने में असफल रहा है और पत्रावली पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि अभियुक्त के द्वारा चैक प्रदर्श पी 1 उधार ली गई राशि के विधिक दायित्व के ऋण के पेटे परिवादी को दिया गया था। चैक प्रदर्श पी 1 परिवादी के द्वारा अपने बैंक खाते में प्रस्तुत किये जाने पर "अपर्याप्त निधि व अपूर्ण हस्ताक्षर" के आधार पर अनादरित हुआ, जिसका चैक रिटर्न मेमो प्रदर्श पी 2 है। परिवादी के द्वारा प्रदर्श पी 6 नोटिस अभियुक्त को प्रेषित किया गया। प्रदर्श पी 5 के जरिये उक्त नोटिस प्राप्तकर्ता को प्राप्त होना प्रमाणित है। इस प्रकार अभियुक्त को नोटिस प्रदर्श पी 6 प्राप्त होना प्रमाणित होता है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेज़ी साक्ष्य का विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है और अपीलार्थी के द्वारा जो आपत्तियां उठाई हैं, उनके संबंध में भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय में विवेचन किया है।

20– परिवादी के द्वारा जो मौखिक व दस्तावेज़ी साक्ष्य पत्रावली पर पेश की गई है, उसका खण्डन अभियुक्त के द्वारा नहीं किया गया है। अतः विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय में अभियुक्त को दोषसिद्ध

Authenticated Document

किये जाने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि कारित नहीं की गई है और जो आधार अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने आदेश में उल्लेखित किये है, वे पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्यों पर आधारित है और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेज़ी साक्ष्य का अवलोकन करने के पश्चात ही उक्त आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नहीं है एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का आदेश पुष्ट किये जाने योग्य है।

दण्डादेश

21– दण्ड के प्रश्न पर दोनों पक्षों को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्त ने निवेदन किया है कि अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व कोई दोषसिद्धि नहीं है। यह अभियुक्त का प्रथम अपराध है। मामला प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। अतः अपीलार्थी को परिवीक्षा का लाभ दिया जावे।

22– विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा विरोध में तर्क दिये गये कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित 09 माह के साधारण कारावास एवं 12,50,000 रुपये की क्षतिपूर्ति का दण्डादेश उचित है।

23– दण्ड के प्रश्न पर विद्वान अपर लोक अभियोजक के तर्कों पर मनन किया गया। अभियुक्त को धारा 138 एन.आई.एक्ट के अपराध के तहत दोषसिद्ध किया गया है एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा 7,00,000 रुपये के चैक के अनादरण के मामले में अपीलार्थी को 09 माह के साधारण कारावास से दण्डित किया गया है तथा 12,50,000 रुपये प्रतिकर राशि के रूप में अधिरोपित किये गये हैं एवं अदम अदायगी प्रतिकर राशि 03 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया गया है। अभियुक्त के द्वारा आर्थिक प्रकृति का अपराध कारित किया गया है। इस प्रकार के अपराधों में निरन्तर रूप से बढ़ोतरी हो रही है। इस प्रकार के अपराधों में परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो दण्डादेश अभियुक्त को दिया गया है, वह उचित है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये दण्ड के संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश पुष्ट किये जाने योग्य पाया जाता है।

Authenticated Document

आदेश

24– परिणामतः अपीलार्थी/अभियुक्त अजय विक्टर पुत्र श्री विक्टर ग्लेडरीन, निवासी होली ऐन्जल स्कूल के पास नयापुर कोटा की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर विद्वान विचारण न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट एन.आई.एक्ट प्रकरण संख्या 3, अजमेर द्वारा फौजदारी मूल प्रकरण संख्या 1227/2015 बउनवान पुष्पेन्द्र सिंह बनाम अजय विक्टर में पारित निर्णय की दोषसिद्धि व दण्डादेश दिनांक 25–02–2019 को पुष्ट किया जाता है। उक्तानुसार पुष्टीकारक सजा वारण्ट बनाया जावे। अभियुक्त द्वारा पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि मूल सजा में समायोजित की जावे। अधिवक्ता अपीलार्थी को निर्णय की प्रति निःशुल्क दिलाई जाये।

25– निर्णय की प्रति के साथ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली अविलंब लौटायी जाये।

(ऋतु मीणा)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या–4, अजमेर

26– निर्णय आज दिनांक 11.06.2026 को लिखाया जाकर, बाद हस्ताक्षर विवृत न्यायालय सुनाया गया।

(ऋतु मीणा)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या–4, अजमेर

Jamsheed Ahmed
Digitally signed by Jamsheed Ahmed
Date: 2026.06.12 12:01:55 +0530

Authenticated Document